कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम म.प्र.

//परिपत्र//

क्रमांक : 395 /लेखा/23 रतलाम, दिनांक : 18.07.23

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा शासकीय कार्य के दौरान तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण को जीन्स/टी–शर्ट एवं भड़कीले वस्त्र कार्यालय/न्यायालय में न धारण करते हुए शालिन गणवेश में ही उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया है उसके बावजुद कतिपय कर्मचारीगण कार्यालय/न्यायालय में पुरूष वर्ग जीन्स/टी–शर्ट धारण कर उपस्थित हो रहे हैं, जो कि उचित नहीं हैं, माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निर्देश जारी किये गये है।

जिला स्थापना पर पदस्थ समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता हैं कि भविष्य में अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहने के दौरान पुरूष कर्मचारीगण पेंट–शर्ट एवं महिला कर्मचारीगण सादगीपूर्ण वेशभुषा में ही उपस्थित रहेंगे।

साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण निर्धारित गणवेश में ही उपस्थित रहेंगे।

उक्त आदेश का पालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही पालन नहीं करने पर संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(राकेश मोहन प्रधान)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रतलाम, म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक /लेखा /23 दिनांक :

प्रतिलिपि :–

(1) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय रतलाम।
(2) विशेष न्यायाधीश, जिला न्यायालय, रतलाम।
(3) प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/सप्तम/अति. जिला न्यायाधीश, रतलाम/जावरा/आलोट।
(4) प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्टम/सप्तम/अति. व्यवहार न्या.वरि. खण्ड रतलाम/जावरा/आलोट/सैलाना।
(5) प्रथम/द्वितीय/चतुर्थ/षष्टम/सप्तम/अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रतलाम/जावरा/आलोट/सैलाना।
(6) प्रभारी अधिकारी,नजारत/प्रतिलिपि/मालखाना/ग्रंथालय/कम्प्यूटर/ लेखानुभाग/अभिलेखागर/सांख्यिकी/डिजिटलाईजेशन/तलबाना अनुविभाग,रतलाम/जावरा/सैलाना/आलोट
(7) वरिष्ठ निज सहायक/लेखापाल, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय रतलाम।
(8) जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग रतलाम की ओर उक्त परिपत्र की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित।

(राकेश मोहन प्रधान)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रतलाम म.प्र.